न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 13/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–01.09.2021

पटवारी हल्का सुरेर **बनाम** कृष्णाअवतार

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी कृष्णाअवतार पुत्र रामवतार शर्मा दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित आये जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया । न्यायहित में सुनवाइ एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया किन्तु अप्रार्थी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। अप्रार्थी की मंशा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। आज बावजूद सूचना के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमी श्री कृष्णाअवतार पुत्र रामवतार शर्मा निवासी ग्राम सुरेर को आराजी ख0न0 597 रकबा 0.06 हे0 किस्म बंजड़ सिवायचक वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.12 की 50 गुणा में मु0 06.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 01.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 12 पर सि. पे. 06/–
राशि कायम किये गये।